☏ / Fax- + 05966–220078
E-mail :- eenhranikhet@gmail.com

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रानीखेत।

पत्रांकः 1550 / 10सी० दिनांकः 27 / 08 /2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के 309ए के किनी० 170 से 208.60 (बेरीनाग चौकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला–अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 18–406 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/151120/2022**

सन्दर्भ :– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्राक 8बी / यू0सी०पी० / 06 / 80 / 2022 / एफ०सी० दिनांक 03.05.2025 एवं आपका पत्रांक 6401 / K-1(2) दिनांक 28.05.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 915 / 10 सी० दिनांक 27.05.2025 द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित कर दिया गया था। तत्पश्चात आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मार्ग चौड़ीकरण में निकालने वाले MUCK Disposal के लिए डम्पिंग जोन हेतु सिविल भूमि की उपलब्धता / अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा से प्राप्त कर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। तद्‌क्रम में डम्पिंग जोन हेतु सिविल भूमि की उपलब्धता / अनुपलब्धता हेतु इस कार्यालय के पत्राक 1283 / 10सी दिनांक 17.07.2025 द्वारा जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा को प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के पत्रांक 7348 / छब्बीस–एफ0सी0 / 2024–25 दिनांक 27.08.2025 द्वारा डम्पिंग जोन हेतु वांछित 3.301 + 0.92 है0 = 4.221 है0 भूमि के स्थान पर मार्ग के किनारे 09 पृथक–पृथक स्थानों पर कुल 0.369 है0 ही सिविल भूमि जो कि चट्‌टानी, तीव्र ढ़लान व वन आच्छादित क्षेत्र में उपलब्ध होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। उक्त 09 स्थानों में पाई गई सिविल भूमि में प्रत्येक का क्षेत्रफल काफी कम होने, भूमि तीव्र ढ़लान में होने व भूमि नालों के समीप होने इत्यादि कारणों से डम्पिंग जोन हेतु उपयुक्त नहीं है। उक्त परियोजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना है। मार्ग का यह प्रभाग किमी० 170 से 206.60 तक वन भूमि प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रत्याशा में लम्बित है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत मार्ग के चौड़ीकरण में प्रभावित हो रही वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रकरण को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने ही कृपा करें ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त शीघ्रातिशीघ्र निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

27/8/25
अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

पत्रांक / तदृदिनांक

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, उत्तरी कुमायूँ वृत्त. अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 वृत्त, लो०नि०वि०, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

☏ / Fax- + 05966–220078
E-mail :- eenhranikhet@gmail.com

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रानीखेत।

दिनांकः 27/08 /2025

पत्रांकः /

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के 309ए के किनी० 170 से 208.60 (बेरीनाग चौकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला–अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 18–406 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/151120/2022**

सन्दर्भ :– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्राक 8बी/यू0सी०पी०/06/80/2022/एफ०सी० दिनांक 03.05.2025 एवं आपका पत्रांक 6401/K-1(2) दिनांक 28.05.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 915/10 सी० दिनांक 27.05.2025 द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित कर दिया गया था। तत्पश्चात आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मार्ग चौड़ीकरण में निकालने वाले MUCK Disposal के लिए डम्पिंग जोन हेतु सिविल भूमि की उपलब्धता/अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा से प्राप्त कर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। तद्क्रम में डम्पिंग जोन हेतु सिविल भूमि की उपलब्धता/अनुपलब्धता हेतु इस कार्यालय के पत्राक 1283/10सी दिनांक 17.07.2025 द्वारा जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा को प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के पत्रांक 7348/छब्बीस–एफ0सी0/2024–25 दिनांक 27.08.2025 द्वारा डम्पिंग जोन हेतु वांछित 3.301 + 0.92 है0 = 4.221 है0 भूमि के स्थान पर मार्ग के किनारे 09 पृथक–पृथक स्थानों पर कुल 0.369 है0 ही सिविल भूमि जो कि चट्टानी, तीव्र ढ़लान व वन आच्छादित क्षेत्र में उपलब्ध होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। उक्त 09 स्थानों में पाई गई सिविल भूमि में प्रत्येक का क्षेत्रफल काफी कम होने, भूमि तीव्र ढ़लान में होने व भूमि नालों के समीप होने इत्यादि कारणों से डम्पिंग जोन हेतु उपयुक्त नहीं है। उक्त परियोजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना है। मार्ग का यह प्रभाग किमी० 170 से 206.60 तक वन भूमि प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रत्याशा में लम्बित है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत मार्ग के चौड़ीकरण में प्रभावित हो रही वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रकरण को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने ही कृपा करें ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त शीघ्रातिशीघ्र निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

पत्रांक 1550/10 सी० तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, उत्तरी कुमायूँ वृत्त, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 वृत्त, लो०नि०वि०, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

27/8/25

अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

J:\NH\Dispatch Letter\EE letter head.docx 623

—:प्रमाण पत्र:—

, अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०नि० रानीखेत के द्वारा अपने पत्र संख्या 1283/10 सी दिनांक 17.07.2025 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 के किमी० 170 से 206.60 (बेरीनाग चौकड़ी काण्डा बागेश्वर ताकुला) दो लेन चौडीकरण के अन्तर्गत डवबा Disposal के लिये Dumping Zone हेतु एक मुस्त 3.301 हे0 सिविल भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में राजस्व निरीक्षक एन0टी0डी0 से जांच करायी गयी। राजस्व निरीक्षक एन0टी0डी0 की जांच आख्यानुसार रा0उ0नि0 क्षेत्र भेटूली अन्तर्गत जाखसोड़ा की गैर ज0वि0ख0ख0सं0 70 बसरा नं0 37 मध्ये खेत नं0 5907, रक्वा 0.073 है0, ग्राम कोटयूड़ा की गैर ज0वि0ख0खा0सं0 80 बसरा नं0 1 मध्ये खेत नं0 6467 रकबा 0.094 है0, कुल 0.167 है0 भूमि श्रेणी 9(3)ड़, ब0का0आ0 के रूप में दर्ज है। रा0उ0नि0 क्षेत्र भैसोड़ी अन्तर्गत ग्राम इनाकोट की गैर ज0वि0ख0खा0सं0 23 ब0नं0 1 मध्ये खेत नं0 469 रक्बा 0.035 है0, खेत नं0 473 रक्बा 0.035 है0, कुल 0.070 है0 श्रेणी 10(4) बंजर ना0आ0 के रूप में दर्ज है एवं ग्राम भैसोड़ी की गैर ज0वि0ख0खा0सं0 35 ब0नं0 10 खेत नं0 1180 रक्बा 0.018 है0 श्रेणी 9(3)ड़, ब0का0आ0 में दर्ज है। रा0उ0नि0 क्षेत्र अमखोली के बीना गांव की गैर–ज0वि0ख0खा0सं0 17 ब0नं0 2 मध्ये खेत नं0 240 रक्बा 0.014 है0, खेत नं0 273 रक्बा 0.086 है0, ग्राम डोटियालगांव की गैर–ज0वि0ख0खा0सं0 76 ब0नं0 327 मध्ये खेत नं0 667 रक्बा 0.004 हे, खेत नं0 668 रक्बा 0.010 है0 कुल 0.114 है0 भूमि श्रेणी 9(3)ड़, ब0का0आ0 के रूप में दर्ज है। रा0उ0नि0 क्षेत्र अमखोली, भेटूली, भैसोड़ी अन्तर्गत सडक किनारे खड्ड सार्डड़ कुल 0.369 है0 सिविल भूमि एक–मुश्त न होकर अलग–अलग जगहों एवं चट्टान, ढलान व पेड़ो से आच्छादित भूमि है। उपरोक्त भूमि के अलावा सड़क किनारे खड्ड साईड़ सिविल भूमि उपलब्ध नहीं पायी गयी। रा0उ0नि0 भैसाड़ी, भेटूली, अमखोली, एन0टी0डी0 द्वारा उपरोक्तानुसार सिविल भूमि उपलब्ध होना पाया गया है। उपरोक्त भूमि के अलावा सड़क किनारे खड्ड साईड़ सिविल भूमि उपलब्ध नहीं पायी गयी।

तहसीलदार,
सदर अल्मोड़ा।

तहसीलदार
अल्मोड़ा

उपजिलाधिकारी, सदर
अल्मोड़ा।

उप जिला अधिकारी
सदर अल्मोड़ा
22/8/2025

प्रतिहस्ताक्षर।

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा।